काo विo प्राo

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

(PERMIT FORM)

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

ID No. :-	**01082014004**	Block/Sector	**-----/N/A**
Plot/House	**A.N0. 1195,1197,1198,1199,1200,1201,1203,1205/-----**	Scheme	**-----**
Permit Date	**21-03-2017**	Application Date	**01-08-2014**
Permit No.	**367/BHAWAN/14-15**		
Area(Place)	**MEHRABAN SINGH KA PURWA**		
Land Usage	**Group Housing/Lay Out**		
Applicant's Name	**GRACE LAND DEVELOPERS PVT. LTD DIR.TEJ NARAIN SINGH**		
Present Address	**375/3 NARAIN KUTI NEAR, CHAKERI RAILWAY STATION SANIGAVAN,KANPUR**		

Sanction vide order dated : **26-09-2016 V.C** build grandted as per sanctioned building plan enclosed subject to the conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.

22/3/17

आशीष शिवपुरी

Authorised Signatory

मुख्य नगर नियोजक

कानपुर विकास प्राधिकरण

कानपुर

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की भार्ते:–

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भॉति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यो को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियो के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यो के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आव यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अेथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहॉ पर विधुत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विधुत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जाये।
6. रेन वाटर हार्वेस्टिग की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
7. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
8. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार वृक्ष लगाने होगे एंव सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा।
9. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15–ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आव यक होगा।
10. भू–स्वामित्व विशयक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी ।
11. स्थलीप मापों के अनुसार बायनामे में संलग्नक मानचित्र को विधिसम्मत रूप सें संशोधित कराना होगा, इसके उपरान्त ही आन्तरिक विकास किया जायेगा।
12. शासनादेश के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य हेतु Saleable Area की 20 प्रतिशत भूमि का0वि0प्रा0 के पक्ष में Mortgage करना होगा ।
13. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है प्रस्तावित विचलन निश्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।
14. यदि सम्बन्धित क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि विकास के मद में व्यय की जाती है, तो उसे अनुपातिक रूप से सहर्श वहन करना होगा।
15. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा जारी गाईड लाईन–2010 की शर्त के अनुसार विकासकर्ता द्वारा स्थल पर निमार्ण सामग्री को पूर्ण रूप से ढ़क कर व ट्रको व अन्य वाहनों को भी ढ़क कर रखना होगा । निर्माणी सामग्री सडक पर ढ़क कर रखनी होगी । कार्य करने वाले कर्मचारियो को मास्क पहन का कार्य करना होगा।
16. ग्राइन्डिंग कार्य करते समय डस्ट पार्टिक्ल उड कर हवा में न जाये उसकी उचित व्यवस्था एवं वेटजेट का प्रयोग करना होगा तथा निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण स्थल के चारों ओर स्थापित स्केफोल्डिंग को तारपोलीन से ढ़का जायेगा ।
17. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा समय–समय पर पर्यावरण सम्बन्धी सभी निर्देशो तथा पर्यावरण एवं वन मत्रालय की गाइड लाइन 2010 का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा ।
18. मानचित्र की स्वीकृति तलपट व ग्रुप हाऊसिंग हेतु प्रदान की जा रही है। अन्य उपयोग की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
19. किसी भी भार्ते का पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जाये

Authorised Signatory
मुख्य नगर नियोजक
कानपुर विकास प्राधिकरण
कानपुर